

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(24)एमई/ग्रुप-1/2021

जयपुर, दिनांक 26 NOV 2021

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28.09.2021 के द्वारा नव नियुक्त निम्न अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण काल में अभिवृद्धि हेतु किए गए निवेदन पर विचार करते हुए इनके कार्यग्रहण काल में इनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि तक अभिवृद्धि प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पद जिस पर नियुक्ति प्रदान की गई है	कार्यग्रहण काल में अभिवृद्धि की समयावधि
1.	डॉ भारती पालीवाल	वरिष्ठ प्रदर्शक, पीएसएम, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	1 माह

यह अभिवृद्धि उनके कार्यग्रहण काल में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 25.10.2021 द्वारा की गई अभिवृद्धि की निरन्तरता में है।

आज्ञा से,

(सुनील शर्मा) 25/11/21

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अभ्यर्थी के कार्यग्रहण काल में की गई अभिवृद्धि में अपने पद पर कार्यग्रहण करने अथवा नही करने की सूचना अविलम्ब इस विभाग को जरिये ई-मेल भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. डॉ. भारती पालीवाल पुत्री श्री मोहनलाल पालीवाल, क्वार्टर नं. 03, दिलशाद भवन, 69, चेटक सर्कल, उदयपुर, राज.-313001 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
6. रक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सोनी)
उप शासन सचिव